

सप्तदश बिहार विधान सभा

दशम सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-02

मंगलवार, दिनांक-07 नवम्बर, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 11.20 बजे पूर्वाहन तक

समा की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही कतिपय माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करने लगे।

[1] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को सम्पन्न हुए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर सदन की सहमति हो।

आसन द्वारा कहा गया कि दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में निम्न सिफारिशें की गयी हैं:-

1. मंगलवार दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के लिए निर्धारित राजकीय कार्य के अंतर्गत जाति गणना से संबंधित सरकार के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हो;

2. बुधवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के लिए निर्धारित राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य वृहस्पतिवार

दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को लिये जायें;

- 3. वृहस्पतिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक बुधवार दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को लिये जायें:
- शेष कार्य यथावत रहेंगे। समिति की उक्त सिफारिशों पर सदन की सहमति हुई।

[2] अन्य चर्चायें :-

आसन की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विभिन्न मुददों पर अपना पक्ष रखा गया एवं सरकार से जवाब देने की मांग की गई तथा विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर

शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में सभी तरह के विषयों को उठाने के लिए नियम दिये गये है। विधिवत उठाये गये प्रश्नों का जवाब देने के लिए सरकार हमेशा तैयार है।

[3] प्रश्नकाल :-

- (i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
- (ii) 03 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
- (iii) 02 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
- (iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।

(v) 143 तारांकित प्रश्न अनागत।इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में खड़े

रहे।

विपक्ष के शोरगुल पर आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपना पक्ष रख दिया है। उचित समय पर सरकार जवाब देगी। फिर भी माननीय सदस्यगण शांत नहीं हुए। आसन द्वारा बार—बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने—अपने स्थान पर बैठ जाने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 12:00 बजे मध्याहन तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(12.00 बजे मध्याहन से 12:32 बजे अपराहन तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[4] कार्य स्थगन प्रस्ताव :--

माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री मिश्री लाल यादव, श्री पवन कुमार जायसवाल, श्री जनक सिंह, श्री कंदार प्रसाद गुप्ता एवं श्री बीरेन्द्र कुमार द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

तदुपरान्त माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसन से कार्य स्थगन प्रस्ताव पढ़ने देने का अनुरोध किया गया। आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री पवन कुमार जायसवाल द्वारा

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को पढ़ा गया।

तदुपरान्त आसन की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी गयी एवं सरकार से जवाब देने का अनुरोध किया गया।

[5] आसन की सूचना :--

"आज सदन में कार्यरत सुरक्षा प्रहिरयों के द्वारा मुझे शिकायत मिली है कि उनके कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान दो माननीय सदस्य क्रमशः श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र संख्या—19, मोतिहारी एवं श्री आलोक रंजन, क्षेत्र संख्या—75, सहरसा ने सुरक्षा कर्मियों को पैर से उनके शरीर पर प्रहार किया एवं उन्हें गालियां भी दी। यह किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों माननीय सदस्य भविष्य में ऐसे आचरण से परहेज करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में सभी माननीय सदस्य ऐसे आचरण से परहेज करेंगे, नहीं तो बाह्य होकर नियमानुकुल कार्रवाई करनी होगी।"

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ

गये तथा शून्यकाल प्रारम्भ होने के उपरांत विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।

[6] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं

की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:— (i) श्री मनोज मंजिल

(ii) श्रा मनाज माजल (iii) श्री मुकेश कुमार यादव

(v) श्री महा नंद सिंह

(vii) श्री रामबली सिंह यादव

(ix) श्री अजय कुमार (xi) श्री भूदेव चौधरी

(xii) श्री मूदेव चौधरी (xiii) श्री विनय कुमार

(xv) श्री मुहम्मद इजहार असफी

(xvii) श्री अचिमत ऋषिदेव

(xix) श्री अमरजीत कुशवाहा (xxi) श्री मोहम्मद कामरान

(xxii) श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह

(ii) श्री सत्यदेव राम

(iv) श्रीमती मंजु अग्रवाल

(vi) श्री मोहम्मद अनजार नईमी(viii) श्री सुर्यकांत पासवान

(x) श्री अजीत कुमार सिंह

(xii) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता

(xiv) श्री राम रतन सिंह

(xvi) श्री संदीप सौरभ (xviii) श्री रणविजय साह्

(xx) श्री अजय कुमार सिंह

(xxii) श्री सुदामा प्रसाद

[7] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री तार किशोर प्रसाद का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना ▲

अपष्ठ हई।

(ii) माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन / वाणिज्यकर विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद द्वारा पढ़ा गया एवं प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी।

[8] समा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय सभापित, प्रत्यायुक्त विधान सिमिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं सहकारिता विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

 माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या—4 की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

तत्पश्चात सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराहन तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराहन से 04:25 बजे अपराहन तक) [इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

राजकीय कार्य

[9] समा मेज पर जाति गणना से संबंधित सरकार के प्रतिवेदन का रखा जाना :-माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा जाति गणना से संबंधित सरकार के प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया तथा अपना पक्ष रखा गया। तदुपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर अपना-अपना पक्ष रखा गया:-

- (i) श्री विजय कुमार सिन्हा
- (ii) श्री भारत भूषण मंडल
- (iii) श्री राजेश कुमार
- (iv) श्री प्रेम कुमार
- (v) श्री रामविलास कामत
- (vi) श्री अजीत कुमार सिंह
- (vii) श्री नन्द किशोर यादव
- (viii) श्री जीतन राम मांझी
- (ix) श्री डॉo सत्येन्द्र यादव
- (x) श्री सूर्यकान्त पासवान
- (xi) श्री रामप्रीत पासवान (xii) श्री अखतरूल ईमान

इस दौरान आसन द्वारा सदन की सहमति से सदन की अवधि निर्धारित कार्यवाही की समाप्ति तक विस्तारित करने की घोषणा की गयी।

तदुपरान्त माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा जाति गणना से संबंधित प्रतिवेदन पर सरकार का पक्ष रखा गया।

[10] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 34 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई।

पटना दिनांक-07.11.2023 **राज कुमार** सचिव, बिहार विधान समा, पटना ।